

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री भवानीसिंह (आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 141/2023

क्रमांक/आवेदन/2024/1027

दिनांक : 05.02.24

प्रार्थीगण

विप्रार्थीगण

मठार पुत्र खबड़

अकबर पुत्र मुबा

जाति मुसलमान, निवासी स्वामी का गांव

वगैरा (09)

तहसील शिव, जिला बाड़मेर

वगैरा (06)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-:: आदेश ::-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक गूंगा को प्रार्थीगण की मौजा स्वामी का गांव, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 111 रकबा 1.9911 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्ड्स रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवाने हेतु 500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू-अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।



क्रमांक/आवेदन/2024/1028-33

उपखण्ड अधिकारी  
शिव (बाड़मेर)

दिनांक : 05.02.24

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक शिव को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी स्वामी का गांव को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक गूंगा द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी मठार पुत्र खबड़ वगैरा (06) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण अकबर पुत्र मुबा वगैरा (09) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी  
शिव (बाड़मेर)